न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

जिला जोधपुर–ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 152/2019

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
मोहम्मद साहिल अब्दुल मोमीन		राजस्थान सरकार जरिये
ताजक जाति मुसलमान		तहसीलदार बिलाड़ा
(सिलावट), निवासी ठाणे,		जिला जोधपुर–ग्रामीण
महाराष्ट्र		

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

– – – – –

उपस्थिति :– प्रार्थी की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता

अप्रार्थी सरकारी पैरोकार

:: आदेश :: **दिनांक**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बांजड़ा, तहसील बिलाड़ा की सरहद में प्रार्थी के पिता अब्दुल मोमीन पुत्र अब्दुल जबार की संयुक्त खातेदारी की भूमि ख.स. 10 रकबा 1.0032 हैक्टेयर स्थित हैं। जिसमें प्रार्थी के पिता का 1/5 हिस्सा निहित व दर्ज हैं। उक्त भूमि के संबंध में खातेदार का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में इन्द्राज करते समय हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थी के पिता का नाम अब्दुल मोमीन जब्बार ताजक के स्थान पर मोहम्मद मोमीन दर्ज कर दिया गया हैं। जबकि प्रार्थी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम अब्दुल मोमीन जब्बार ताजक हैं।प्रार्थी के पिता का देहान्त दिनांक 15.11.21 को हो गया था। प्रार्थी दिनांक 26.12.2023 को अपने पिता की उपरोक्त खातेदारी भूमि का फौतेदगी म्यूटेशन अपने नाम से दर्ज करवाने हेतु हल्का पटवारी के पास गया तथा हल्का पटवारी को राजस्व रेकर्ड व अपने सरकारी दस्तावेजों की फोटो प्रतियॉ दी तो हल्का पटवारी ने जमाबंदी व प्रार्थी के सरकारी दस्तावेजों को देखकर प्रार्थी को बताया कि अन्य सभी दस्तावेज में पिता का नाम अब्दुल मोमोन जब्बार ताजक दर्ज हैं। जबकि उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में पिता

का नाम मोहम्मद मोमीन दर्ज हैं। इसलिये पिता का नाम मोहम्मद मोमीन के स्थान पर अब्दुल मोमीन जब्बार ताजक की शुद्धि करवाने के पश्चात् ही परिवार के सदस्यों के नाम अब्दुल मोमीन जब्बार ताजक का फौतेदगी नामांतरकरण भरा जा सकेगा। प्रार्थी के पिता के राजस्व रेकर्ड में उक्त गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थी अपने पिता की उक्त भूमि का फौतदगी नामांतरकरण अपने नाम से दर्ज नही करवा सकता है तथा न ही किसी प्रकार का कोई ऋण ले सकता हैं।

इस कारण प्रार्थी के पिता को अपना गलत नाम मोहम्मद मोमीन के स्थान पर सही नाम अब्दुल मोमीन जब्बार ताजक दर्ज करवाने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी के पिता का सही नाम अब्दुल मोमीन जब्बार ताजक हैं, जिस बाबत् प्रार्थी के आधार कार्ड, प्रार्थी के पिता का आधार कार्ड, प्रार्थी के पिता का श्रमिक कार्ड, प्रार्थी के पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र व अन्य सरकारी दस्तावेज की प्रतियॉ प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न पेश हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज प्रार्थी के पिता का गलत नाम मोहम्मद मोमीन के स्थान पर सही नाम अब्दुल मोमीन जब्बार ताजक दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थी को नोटिस जारी किय गय। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। जिन्होने अपना जवाब पे"ा किया, जिसे शामिल मिसल कराया गया जो जवाब इस आशय का पे"ा किया कि ग्राम बांजडा की जमाबंदी चौसाला 2075 से 2078 के खाता सं. 3 खसरा सं. 10 रकबा 1.0032 हैक्टेयर में मोहम्मद मोमीन पुत्र श्री अब्दुल जब्बार 1/5 हिस्सा संयुक्त खातेदारी दर्ज हैं। नामां.सं. 223 दिनांक 19.08.1985 दर्ज करते समय अब्दुल जब्बार पुत्र अब्दुल अजीज के स्थान पर अब्दुल रसीद, अब्दुल मजीद, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद मोमिन, मोहम्मद आमीन पिता अब्दुल जब्बार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पिता के नाम संशोधन हेतु आधार कार्ड व मृत्यु प्रमाण–पत्र मे नाम अब्दुल मोमीन जब्बार ताजक होना बताया जबकि निर्वाचन विभाग के पहचान पत्र में नाम मोमीन हैं। वादी अपने राजस्व रेकर्ड में पिता का नाम मोहम्मद मोमीन के स्थान पर अब्दुल मोमीन जब्बार ताजक करवाना चाहता हैं।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया ओर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यो को दोहराया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी, प्रार्थी का आधार कार्ड, प्रार्थी के पिता का आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रति का अध्ययन किया। जिससे विदित होता हैं कि प्रार्थी द्वारा अपने पिता के प्रस्तुत सरकारी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण–पत्र जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम अब्दुल मोमीन जब्बार ताजक दर्ज हैं। जबकि प्रार्थी के पिता का नाम जमाबंदी संवत 2075 से 2078 में मोहम्मद मोमीन पुत्र अब्दुलजबार दर्ज कर दिया गया जो एक लिपिकीय त्रुटी मालूम पड़ती है। जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदे"ा प्रदान किया जाता है कि ग्राम बांजड़ा तहसील बिलाड़ा की भूमि की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 की दुरूस्ती की जाकर खाता सं. 3 के खसरा सं. 10 में प्रार्थी के पिता का नाम मोहम्मद मोमीन के स्थान पर अब्दुल मोमीन जब्बार ताजक दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसललशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदे"ा आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा